सोशल सेक्योरिटी स्कीम अनाआर्गनाइज्ड लेबरर्स के लिए बनायी थी और उसका एक पायलेट प्रोजेक्ट कुछ जिलों में शुरु होना था, क्या आपने वह पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया? अगर वह शुरू किया तो उसका कोई आकलन, कोई विशलेषण अभी तक आपके पस आया है? क्या उसका समावेश आप इस बिल के अंदर करने जा रहे है?

श्री ऑस्कर फर्नडिसः आदरणीय सभापति जी, वर्ष 2004 में जो एक पायलेट प्रोजेक्ट आया, वह सिर्फ कुछ दिन के लिए आया और उसके बाद सरकार ने उसको फाइनेंशियल बैकिंग नहीं दिया। अभी हम क्या ला रहे हैं, इसके बारे में, मैं बताना चाहता हूं कि हम फाइनेंशियल बैकिंग देकर उसकी शुरुआत करेंगे और बाद में जो सुधार ला सकते है, वे हम लायेंगे।

स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

*484. **श्री जय प्रकाश अग्रवालः** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)क्या वयोवृद्व स्वतंत्रता सेनानी को अदालती आदेश के बावजूद पेंशन का भुगतान नहीं करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मार्च, 2007 में गृह मंत्रालय में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन का काम करने वाले विभाग के रवैए पर नाराजगी व्यक्त की है;

(ख)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग)क्या केन्द्र सरकार ने पेंशन का भुगतान किए जाने संबंधी उच्च न्यायालय के मार्च, 2006 के उस आदेश का पालन न करने, जिसमें फरवरी, 2007 तक पेंशन का भुगतान करने को कहा गया था, से संबंधित अधिकारियों के विरुद्व कोई कार्यवाही की है और पात्र स्वतंत्रता-सेनानियों को पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिक राव गावित): (क) से (ग) इस संबंध में एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) से (ग) श्री अश्वनी कुमार मिश्रा को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान किए जाने के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 3.5.2000 के अपने आदेश के तहत सरकार को निदेश दिया था कि पेंशनर के दावे पर नए सिरे से विचार किया जाए। तदनुसार दावे पर पुनः विचार किया गया था, उसे रद्द कर दिया गया था और 12.9.2000 को इस बारे में पेंशनर को उचित रूप से बता दिया गया था। इसके बाद एक और रिट याचिका में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 31.3.2006 के आदेश के तहत श्री मिश्रा को पेंशन दिए जाने की अनुमति प्रदान कर

दी। इसकी जांच करने पर विधि मंत्रालय ने अपील दायर करने की सलाह दी और तदनुसार 21.4.2006 को केन्द्र सरकार की स्थाई काउंसल को अनुदेश जारी किए गए। यद्यपि इस मामले पर कार्रवाई की गई थी लेकिन अपील दायर करने में विलम्ब हुआ। अंतरिम कार्रवाई के रूप में अवमानना याचिका दायर कर दी गई थी। यद्यपि यह माननीय न्यायालय के विचाराधीन है लेकिन 26.2.2006 को अपील भी खरिज कर दी गई थी। इसके बाद न्यायालय के दिनांक 31.3.2006 के आदेश का अनुपालन करते हुए इस मंत्रालय ने स्वतः ही 26.2.2007 को सर्शत पेंशन की मंजूरी का अनुमोदन किया। पेंशन की बकाया राशि, पेंशनर के होशंगाबाद (मध्य प्रदेश) स्थित बचत बैंक खाते में जमा कर दी गई थी। न्यायालय की अवमानना, 14.3.2007 को खारिज कर दी थी।

Pension to freedom fighters

†*484. SHRI JAI PARKASH AGGARWAL: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the High Court of Delhi expressed displeasure in March, 2007, with regard to the attitude to the department dealing with pension of freedom fighters in the Ministry of Home Affairs, in the matter of non-payment of pension to senior freedom fighters, in spite of the order of the Court;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) whether Government have taken any action against the concerned officers for non-compliance of the High Court's order of March, 2006 directing the payment of pension by February, 2007, and have taken any steps to ensure payment of pension to the eligible freedom fighters?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MANIKRAO GAVIT): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) In a matter relating to grant of freedom fighter's pension to Shri Ashwani Kumar Mishra, the Hon'ble High Court of Delhi, *vide* its order dated 3-5-2000, had directed the Government that the claim of the petitioner may be considered afresh. The claim was accordingly reconsidered, rejected and the petitioner duly informed on 12.9.2000. Subsequently, the

†Original notice of the question was received in Hindi.

Hon'ble High Court of Delhi, *vide* its order dated 31.3.2006, in another writ petition, allowed the grant of pension to Shri Mishra. On examination, the Ministry of Law advised for filing an appeal and instructions were accordingly issued on 21.4.2006 to the Central Government Standing Counsel. Though the matter was pursued, the filing of the appeal was delayed. In the interim, a contempt petition was filed. While this was under consideration by the Hon'ble Court, the appeal was also dismissed on 26.2.2007. Conditional sanction of pension was thereafter approved by this Ministry on 26.2.2007 itself in compliance of the Court order dated 31.3.2006. Arrears of pension were deposited in the Savings Bank Account of the petitioner at Hoshangabad (M.P.). The contempt was discharged on 14.3.2007.

श्री जय प्रकाश अग्रवालः सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में बताया कि जो पेंशन फ्रीडम फाइटर्स को मिलती थी, उसको बढ़ाकर दस हजार रुपए कर दिया है। हालांकि मैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं। मेरी मांग यह थी कि जितनी पेंशन मैंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है, क्योंकि उन लोगों की गिनती बहुत कम रह गयी है, उतनी ही पेंशन उन लोगों को मिलनी चाहिए। दस हजार की रकम से किसी भी परिवार की जरूरत पूरी नहीं होती। जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा लिया, मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग रह गये हैं, कितने केसिज़ आपके पास है जो इस झगड़े में फंसे हुए हैं? जो जवाब आपने दिया है, आप इसको देखकर संतुष्ट नहीं होंगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कितने केसिज़ ऐसे है जो झगड़े में पड़े हुए है?

श्री माणिक राव गावितः महोदय, इसी प्रश्न के संबंध में, जो माननीय सदस्य ने कहा, मैंने उत्तर दिया है, इस वर्ष राष्ट्रीय सत्याग्रह आन्दोलन की डेढ़ सौवीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार ने, अभी माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न किया, एक समिति बनायी है और समिति को यह काम दिया गया है कि स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित विषयों को देखना तथा उनके शीघ्र निपटान हेतु सुझाव देना इसलिए दो-तीन मुद्दों पर यह कमेटी बनायी है और उसमें जो पेंडिंग केसिज़ हैं, उन पेंडिंग केसिज़ के संबंध में यह है कि जिला अधिकारी से जो प्रपोज़ल आता है, राज्य सरकार से उसके बद रिकमेंडेशन होकर प्रपोज़ल आता है यहां पर उस प्रपोज़ल की छान-बीन करके फिर उनको पेंशन दी जाती है। अभी इस प्रश्न में इतना ही उन्होंने पूछा था।

श्री जय प्रकाश अग्रवालः सर, मैंने यह भी पूछा था कि कितने केसिज़ पेंडिंग पड़े हैं।

श्री माणिक राव गावितः सर, कितने केसिज़ पेंडिंग है, उनके बारे में राज्यवार लिस्ट मैं माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री जय प्रकाश अग्रवालः सर, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो केसिज़ रह गए हैं और जो आपने पेंशन बढ़ायी है, वह उन तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए क्योंकि जो आपने फैसला किया है, वह उन तक नहीं पहुंचा और लोगों को पैसे मिलने शुरू नहीं हुए हैं। सर, क्योंकि आप सीधे और सच्चे इंसान है, गांधीवादी हैं, टोपी पहनते है इसलिए आपसे इतना निवेदन है ...(**व्यवधान**)....

श्री माणिक राव गावितः 2006 को जो पेंशन बढ़ायी गयी है, उसके आदेश हो गए हैं। उसकी प्रक्रिया ऐसी है कि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार के पास आदेश जाता है, राज्य सरकार से जिला अधिकारी के पास आदेश जाता है और जिला अधिकारी से जो बैंक हैं, जो ट्रेज़रीज है, उन तक आदेश जाने में थोड़ा विलम्ब हुआ है लेकिन यहां से आदेश हो चुके हैं।

श्री सीताराम येचुरी : महोदय, यह काफी शर्मनाक बात है इसलिए हम इस सवाल को उठाने के लिए खड़े हुए हैं। दो साल से कम से कम तीन हज़ार से ज्यादा फ्रीडम फाइटर्स आंध्र प्रदेश से सिर्फ इस रिकग्नीशन के लिए बैठे हैं कि उनको फ्रीडम फाइटर घोषित कर दिया जाए। उनको न पेंशन चाहिए, न पैसा चाहिए, उनको सिर्फ इज़्ज़त चाहिए। हरेक दिन इनमें से एक- आध गुज़र जाता है। मेरा अनुरोध है कि मरने से पहले उनको सरकार यह इज़्ज़त तो दिलवा दे। उनको बेशक आप पैसे न दो, हमें पैसे नहीं चाहिए। सिर्फ यह इज़्ज़त तो दीजिए कि वे अपने देश के लिए लड़े । 1857 की आप जो डेढ़ सौवीं सालगिरह मना रहे हैं, वह आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई का पहला संघर्ष था। इससे ज्यादा क्या शर्मनाक बात होगी कि ..

श्रीमती विप्लव ठाकुरः आपकी आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, क्या सिर्फ हमारी आज़ादी की लड़ाई थी?

श्री सभापति : डिसटर्ब मत करिए।

श्री सीताराम येचुरीः हम सबकी आज़ादी की लड़ाई थी आप मेरे जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए।

श्रीमती सुषमा स्वराजः तेलुगु हिन्दी है। " आपकी " का मतलब "हमारी" । यह तेलुगु हिन्दी है।

श्री सीताराम येचुरी : अगर आपकी इज़ाजत हो तो मैं अब तेलुगु में बोलूं।

श्रीमती सुषमा स्वराजः मैं तो आपकी वकालत कर रही हूं। मैं तो कह रही हूं कि तेलुगु हिन्दी है, "आपकी" का मतलब "हमारी" स्वतंत्रता की लड़ाई ही था।

श्री सीताराम येचुरी : शुक्रिया, शुक्रिया आपने ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः मैं तो आपका साथ दे रही हूं।

श्री सीताराम येचुरी : चेयरमैन महोदय, मैम आपके द्वारा सरकार से यही जानना चाहूंगा कि इनमें से कई सौ लोगों ने आंध्र के सेक्रेटॅरिएट पर चार दिन तक धरना दिया, दिल्ली में आकर पार्लियामेंट के सामने धरना दिया, हजारों की तादाद में दिल्ली में, संसद के सामने , यह कहने के लिए आए कि हम देश की आज़ादी के लिए लड़े हैं, हमें सिर्फ वह स्वीकृति दे दो, पैसे की बात नहीं है। वे प्रधान मंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले और उन्होंने यह आश्वासन दिया कि नई कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन वह कमेटी आज तक बनी नहीं है। ढ़ाई साल हो गए है, पता नहीं वह कमेटी अभी तक बनी है या नहीं बनी है। इसमें क्या विलम्ब हो रहा है? यह बहुत शर्मनाक बात है, ज़रा इसका जवाब तो दीजिए।

श्री सभापतिः ठीक है, मंत्री जी, बताइए।

श्री माणिक राव गावितः महोदय, पहले तो मैं श्रद्वेय सदस्य महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि आंध्र प्रदेश के जो स्वतंत्रता सेनानी है, वहां पर आंध्र प्रदेश सरकार ने ही डी0जी0 विजिलेंस की इनक्वायरी शुरू की है, इसलिए इसमें विलम्ब हो रहा है और जो पहले आंध्र प्रदेश सरकार के डी.जी. विजिलेंस ने रिपोर्ट दी है, उस पर यहां भारत सरकार द्वारा छानबीन करके उसका निपटारा किया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

MR. CHAIRMAN: Next question. *(Interruptions)* Next question important है। ...(**व्यवधान**)... यह कोई बात नहीं है, बैठ जाइए । ...(**व्यवधान**)...

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, this is important. *(Interruptions)* The Committee needs to be ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : ठीक है, ठीक है, next question भी ऐसा ही है। ...(**व्यवधान**)...Question No. 485 ...(**व्यवधान**)... Please take your seat. *(Interruptions)*

श्री शरद यादवः सभापति जी, यह जो जवाब आया है ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : उसको छोडिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादवः सर, सीताराम येचुरी जी ने एक सवाल ऐसा खड़ा किया ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : वह अच्छा किया, लेकिन जवाब वहां नहीं है, तो अच्छा करने से क्या मतलब है? ...(**व्यवधान**)...

श्री शरद यादवः सर, दूसरे मंत्री तो बैठे हैं।

श्री सभापति : आप जानते है कि अगर एक मंत्री बैठा हो, तो क्या दूसरा जवाब दे सकता है? ऐसे मामले पर तो Half-an-hour Discussion होना चाहिए।

श्री सीताराम येचुरी : सर, आप कह रहे हैं? ...(**व्यवधानव**)...

श्री सभापतिः हां, मैंने कह दिया है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः सर, आप लिखित जवाब पढ़िए, जितना पैसा ये वकीलों को लिटिगेशन में दे रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति : छोडिए...छोडिए, आगे भी ऐसा ही एक इम्पॉटेंट क्वेश्चन है। ...(**व्यवधाव**)...

श्रीमती सुषमा स्वराजः केसेज लड़ने के लिए ये जितना दे रहे हैं, उतने में तो ये स्वतंत्रता सम्मान पेंशन दे देते । उसमें तो दस स्वतंत्रता सम्मान पेंशन मिल जाएं।

Increase of pay scales of Army personnel

*485. MS. SUSHILA TIRIYA: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a proposal to increase the pay scales of Army personnel;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether the increase in pay will cover all the three services of Armed Forces?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI M.M. PALLAM RAJU): (a) to (c) Government has set up the Sixth Central Pay Commission to go into the question of pay, allowances and other facilities/benefits of Central Government Employees including Armed Forces Personnel. The three services have submitted a joint memorandum to the Sixth Central Pay Commission seeking increase in Pay Scales, enhancement of existing allowances, introduction of new allowances etc.

सुश्री सुशीला तिरियाः सर, मेरा पहला सप्लीमेंटरी यह है कि आजकल डिफेंस में जिस तरह से आर्मीज़ को तनख्वाह दी जा रही है, एक कॉल सेंटर से भी कम तनख्वाह दी जा रही है। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी, रिप्लाई तो उन्होंने दिया है कि अभी भी कंसिडरेशन में है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी, कंसल्टेटिव कमेटी में सांसदों द्वारा डिमांड करने के बावजूद भी उनका पे-स्केल अभी तक बढ़ाया नहीं गया है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि क्या यंगस्टर्स को